



मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ-226005

परिपत्र सं०- ०५

/सामा-2(1)

दिनांक: 28-4-2020

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला/उप कारागार तथा आदर्श कारागार
एवं नारी बन्दी निकेतन लखनऊ।

विषय:- आयुष मंत्रालय के परामर्श के अनुसार कोविड-19 समय अवधि में अगले एक माह के लिये एक कप अतिरिक्त चाय/काढा दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों को आयुष मंत्रालय के परामर्श के अनुसार कोविड-19 के दृष्टिगत, बंदियों की, रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि हेतु अगले एक माह के लिये एक कप अतिरिक्त चाय/काढा जिसमें तुलसी, दालचीनी, कालीमिर्च, सोंठी, मुनक्का, चीनी या नीबू का रस मिला हो को प्रदान किया जाये।

उपरोक्त एक कप अतिरिक्त चाय/काढा बन्दियों को दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


(वीपी० त्रिपाठी)

उप महानिरीक्षक कारागार (मु०),
उत्तर प्रदेश।